न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– **मुकेश बारैठ** आर.ए.एस.

अनवान :– **विविध प्रकारण संख्या 46/2019**

1. गुरशरण कौर पुत्री चम्बा सिंह पत्नी जगसिंह जाति मजहबी सिख्या निवासी मजहबी सिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजविन्द्र पुत्र जसवीर जाति मजहबी सिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्रीमती मंजू गुप्ता – – प्रार्थी
2. श्री भारत भूषण नागपाल – – अप्रार्थी

–:: आदेश ::– **दिनांक :– 08.07.2019**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीया के पिता चम्बासिंह के नाम से चक 16 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 73/64 के मुरब्बा नम्बर 26 में 5.401 हैक. कृषि भूमि थ्झी जिसमें से कुछ रेवले लाइन में जाने के बाद 4.725 हैक. कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थीया के पिता की मृत्यु अरसा दराज पहले हो चकी है और प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के बाद हम सात वारिसान के नाम से बहिस्सा बराबर यानि की 1!7 कृषि भूमि सभी वारिसान के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और जमाबंदी की नकल संलग्न है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीया की माता दिया कौर व भाई जोध सिंह, बलदेव सिंह, खुशदयाल सिंह, बलकार सिंह, बाज सिंह व प्रार्थीया गुरशरण कौर के नाम से बहिस्सा बराबर विरास्तन 1/7 कृषि भूमि दर्ज हुई व उसके बाद बलकार सिंह की मृत्यु होने के बाद उसका हिस्सा उसकी पत्नी गुरचरण कौर व पुत्र शेर सिंह व उसकी पुत्री छन कौर के नाम दर्ज हुआ

प्रार्थीया की माता विदया कौर व भाई जोध सिंह भी फौत हो चुके है या भाई जोधसिंह अविवाहित फौत होने के कारण माता विदया कौर व जोध सिंह के 1/7 यानि की दोनों की 2/7 1.3560 नहरी भूमि दर्ज जमाबंदी खातेदार है और चूंकि माता विदया कौर व भाई जोधसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण इन दोनों के हिस्से का रकबा 1.350 में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थीया को विरास्तन प्राप्त हुई है। अब उपरोक्त कृषि भूमि चक 16 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता 73/64 के मुरब्बा नम्बर 26 में 5.401 हैक. कृषि भूमि थी जिसमें से कुछ रेलवे लाईन में जाने के बाद 4.725 हैक. कृषि भूमि है जिसमें अब विरास्तन सभी वारिसान को 1/5 हिस्सा नहरी भूमि प्राप्त हुई है इस प्रकार से प्रार्थीया का उपरोक्त कृषि भूमि में से 1/5 हिस्सा वाजिब बनता है जिसकी प्रार्थीया मालिक व खातेदार है और सभी वारिसान का बहिस्सा बराबर बराबर कब्जा काश्त है और उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में 1/7 हिस्से के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

हिसाब से विरासतन दर्ज है माता विदया कौर व भाई जोधा सिंह का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अभी 1/5 के रूप में दर्ज नहीं हुआ है और उपरोक्त भूमि मुस्तर्का खाते में दर्ज है। किलाजात खोला नहीं जाकर बंटवारा नहीं हुआ हैं। उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया मालिक व काबिज है उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीया का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीया वृद्ध व काश्त करने में सक्षम नहीं होने के कारण प्रार्थीया हिस्से की कृषि भूमि ठेके पर देकर काश्त करवा रही थी और सन् 2018 में हिस्से ठेके पर एक साल के लिए कृषि भूमि प्रार्थीया ने अप्रार्थी राजविन्द्र पुत्र जसवीर सिंह जाति मजहबी सिख्खा निवासी मटीलीराठान तह. व जिला श्रीगंगानगर को दी हुई थी। अप्रार्थी के मन में प्रार्थीया को बुर्जुग व लाचार देख कर गलत लालच आ गया और प्रार्थीया हमेशा बदल बदल मकर हिस्सा ठेका पर अक्सर जमीन देती रही परन्तु अप्रार्थी के मन में बदनियती होने के कारण व अप्रार्थी द्वारा ब्लेकमेल कर दबाव बनाया जा सके कि नियत से अप्रार्थी के द्वारा हिस्से ठेके की आड में कुछ तथाकथित कागजात तैयार कर लिये गये हैं जिसकी जानकारी अब प्रार्थीया को सन् 2019 के लिए आगे कृषि भूमि ठेके पर आगे अप्रार्थी से अगल साहब पुत्र दर्शन सिंह नामक व्यक्ति को देने के लिए बात की तो साहब सिंह को अप्रार्थी के द्वारा कहा गया कि अप्रल माह से तो मैं ही पानी लगाउंगा क्योंकि उक्त जमीन अब मैंने खरीद ली है जिस पर साहब सिंह के द्वारा बताए जाने पर प्रार्थीया को हैरानी हुई और वादिया ने छानबीन की और वादिया अप्रार्थी से मिली तो अप्रार्थी के द्वारा कहा गया कि जिस दिन तुम कचहरी के लिए लिखा पढी के लिए लेकर गया था उसकी दिन ही मैंने उक्त जमीन अपने नाम से करवार कर अपने हाथ कटवा लिये हैं क्योंकि दिनांक 24, 25, 26,6 2018 में प्रार्थीया को अप्रार्थी के द्वारा यह कहा गया था कि जो जमीन तुम्हे अपनी माता व भाई से तुम्हे प्रापत हुई है वह जमीन भी तुम अपने नाम से करवा कर हमें हिस्सा ठेका पर दे तो प्रार्थीया अनपढ़ व बुजुर्ग थी कोर्ट कचहरी की जानकारी नहीं थी इसलिए राजविन्द्र व उसके पिता जसवीर सिंह की बातों में आकर राजविन्द्र व उसके पिता के साथ माता व भाई की जमीन अपने नाम से करवाने गंगानगर आयी थी वहां पर अमनप्रीतकौर भी गंगानगर आयी ये कहकर कि मेरे को भी गंगानगर काम है और वहां पर प्रार्थीया व अमनप्रीत कौर पार्क में बैठा दिया गया वहां पर कागज तैयार किये वहां पर दो तीन दिन लगातार कागजी कार्यवाही के लिए बुलया गया और अनेकों कागजों पर अनेको जगह व तहसील कार्यालय आदि में ले जाकर व जमीन नाम करवाने का विश्वास दिलाकर अनेको जगह अंगूठे लगवाये प्रार्थीया इस विश्वास पर कि माता व भाई वाली जमीन प्रार्थीया के नाम से इंतकार दर्ज के लिए कार्यवाही का धोखा देकर व साजिश से षडयन्त्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा लिये जबकि प्रार्थीया को उपरोक्त जमीन बेचने की न तो कभी आवश्यकता थी ना ही कभी बेचान की ना ही कभी कोई बेचान सम्बन्धी दस्तावेज अप्रार्थी के हक में तहरीर व तकमील करवाये ना ही बेचान सम्बन्धी राशि प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी से प्राप्त की गई ना ही वादीया ने कोई सहमति से कोई हस्ताक्षर किये अप्रार्थी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज अपने व बहन से मिल कर तैयार भी करवा लिये गये प्रार्थीया के द्वारा कोई भी रजिस्ट्री या इकरारनामा राजविन्द्र के हक में कभी नहीं करवाया प्रार्थीया का जमीन पर कब्जा है राजस्व रिकार्ड में आज भी प्रार्थीया का नाम है। अगर कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है तो वह प्रार्थीया के हितों पर बेअसर है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीया की अज्ञानता व बुजुर्ग का नाजायज फायदा उठाकर धोखे से कोई तथाकथित दस्तावेज साजिश रचकर अपने आप को अनुचित लाभ पहुचाने व प्रार्थीया को अनुचित हानि पहुंचाने के आशय से तहरीर व तकमील करवा कर गलत तौर से तकमील करवा लिये गये व प्रार्थीया के हितों पर बेअसर है क्योंकि आज कृषि भूमि पर कब्जा प्रार्थीया का है और अप्रार्थी को किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार तथाकथित दस्तावेजों पर हासिल नहीं होता है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का ही नाम दर्ज है अगर कोई दस्तावेज प्रार्थीया के द्वारा सहमति से तहरीर व तकमील करवाया जाता है तो अप्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया जाता। प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीया की कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा करने की लगातार गलत कोशिश की जा रही है। प्रार्थीया की वीरवार को पानी की बारी थी उस पर भी गलत रूप से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पानी लगाने की तथाकथित दस्तावेज के अधार पर गलत कोशिश की गई जबकि अप्रार्थी को तथाकथित दस्तावेजों के आधार पर कोई भी कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं है। इसलिए बिला अधिकार होने तथा कब्जे के अभाव में उक्त दस्तावेज शून्य व निष्प्रभावी है। दस्तावेजों का अनुचित लाभ उठाकर ना केवल प्रार्थी जबरन बेदाल करने की फिराक में है बल्कि रकबा को आगे मुन्तकिल करने व तथाकथित दस्तावेज के अधार पर इन्तकाल करवाने की कोशिश में है प्रार्थीया को अब दिनांक 20.04.2019 को जानकारी प्राप्त हुई है। प्रार्थीया को अप्रार्थी के द्वारा स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से बेदखल करने से बाज व ममनू रहे का कहा गया मगर अप्रार्थी टाल मटोल करते हुए गलत रूप से 25.04.2019 को पानी की बारी पर पानी लगाने की जबरन कोशिश की 25.04.2019 को बाज़ व ममनू रहने से साफ इन्कार कर दिया उपरोक्त कूटरचित दस्तावेज का अनुचित लाभ उठा कर ना केवल अप्रार्थी प्रार्थीया को जबरन बेदखल करने बल्कि रकबा को अन्य को मुतकिल करने की कोशिश में है। यदि अप्रार्थी अपने गलत मकसद में सफल हो गया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। अतः ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थी इस अमर की सादिर की जावे कि चक 16 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 73/64 के मुरब्बा नम्बर 26 में 5.401 हैक्टर कृषि भूमि थी जिसमें से कुछ रेलवे लाइन में जाने के बाद 4.725 हैक्टर कृषि भूमि है। प्रार्थीया का उपरोक्त कृषि भूमि में से 1/5 हिस्सा वाजिब है उक्त प्रार्थीया के हिस्से की 1/5 कृषि भूमि को अप्रार्थी किसी को रहन बैय मुंतकिल करने, प्रार्थीया को सवयं अथवा किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की तबदीली न की जावे और तथाकथित दस्तावेज के आधार पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. पेश न कर बहस करने का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी को जमीन का बेचान पूर्व में किया जा चुका है जिसकी रजिस्टरी, बैयनामा की सत्यापित प्रति मूल वाद में पेश की जा चुकी है। दस्तावेजात के अधार पर आदेश पारित किया जावे।

विद्वान अधिवक्तगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा, सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का है। प्रार्थीया ने विवादास्पद भूमि का बेचान अप्रार्थी को जरिए बैयनामा दिनांक 25.06.2018 एवं रजिस्ट्री दिनांक 26.06.2018 कर अपना हक त्याग अप्रार्थी के पक्ष में किया जा चुका है। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया के नाम बैयनामा रजिस्ट्री करवाये जाने के पश्चात् सम्बन्धित भूमि पर हक शेष नहीं रहता। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता हैं। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद की जावे।

आदेश आज दिनांक 08.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *